

## रूस से हथियार खरीदने पर प्रतिबंध से मलिंगी छूट, अमेरिकी सीनेट ने पारति कथि बलि

### चर्चा में क्यों?

अमेरिकी सीनेट ने वत्ति वर्ष 2019 के लयि जॉन एस मैककेन नेशनल डफिंस अथॉराइजेशन एक्ट (NDAA) (रक्षा वधियक) भारी बहुमत से पारति कर दयि। NDAA द्वारा एक साल पहले 2 अगस्त, 2017 को अमेरिकी कानग्रेस द्वारा पारति अमेरिकी वरिधियों के खलिफ कार्रवाई कानून (CAATSA) के कुछ खंडों में संशोधन कयि गया है। NDAA, 2019 के प्रावधानों के तहत भारत द्वारा कुछ शर्तों को पूरा कर रूसी रक्षा उपकरणों की खरीद का रास्ता आसान हो जाएगा।

### प्रमुख बदि

- अमेरिका के वरिधियों के खलिफ कार्रवाई कानून (Countering America's Adversaries through Sanctions Act-CAATSA) के तहत उन देशों के खलिफ प्रतिबंध लगाए जाते हैं जो रूस से महत्त्वपूर्ण रक्षा उपकरणों की खरीद करते हैं।
- इस वधियक में सीएटीएसए के प्रावधान 231 को समाप्त करने की बात कही गई है। इस कदम को भारत के लयि एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
- भारत लगभग 4.5 बलियन अमेरिकी डालर मूल्य के पाँच एस -400 ट्रायम्फ एयर डफिंस ससिस्टम खरीदने की योजना बना रहा है।
- सीएटीएसए के नए संशोधति प्रावधानों को कानूनी रूप दयि जाने के बाद भारत के लयि रूस से एस-400 मसिाइल रक्षा प्रणाली खरीदना आसान हो जाएगा।
- हाउस ऑफ रिपिरेजेंटेटिविस में यह वधियक पछिले सप्ताह ही पारति हो चुका है। अब यह कानून बनने के लयि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लयि व्हाइट हाउस भेजा जाएगा।
- रक्षा वधियक में एक प्रावधान कयि गया है जसिके तहत अमेरिका और अमेरिकी रक्षा संबंधों के लयि महत्त्वपूर्ण साझेदार को राष्ट्रपतिद्वारा एक प्रमाणपत्र जारी कर सीएटीएसए के तहत प्रतिबंधों से छूट दी जा सकती है।

### नयिमें में लचीलापन

- सीएटीएसए से छूट प्रदान करते हुए नेशनल डफिंस अथॉराइजेशन एक्ट, 2019 के तहत रूसी एस -400 रक्षा प्रणाली की खरीद में भारत को पर्याप्त लचीलापन प्राप्त होगा।
- हालाँकि कानून की भाषा बेहद कठोर लग रही है, लेकिन रूस से रक्षा उपकरणों की खरीद करने वाले देशों के खलिफ प्रतिबंध लगाने वाले प्रावधानों को बेहद नरम कर दयि गया है।
- रूसी उपकरणों की सूची को कम करने के लयि प्रशासन को ट्रैक करने और इससे संबंधति जानकारी को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी, जसि पर भारत "कदम उठा रहा है या कदम उठाएगा"।
- इसका मतलब यह है कि न तो वाशिंगटन और न ही नई दलिली भारत के लयि रूसी उपकरणों की सूची में ऐतिहासिक गरिावट को लंबे समय तक इंगति कर सकती है, लेकिन ऐसा करने के लयि वशिषिट और आगे बढ़ने के पर्यासों की पहचान करनी होगी।
- इस प्रकार की रिपोर्टिंग की आवश्यकता राजनीतिक रूप से परेशानी का कारण बन सकती है और कानून निर्माताओं द्वारा भवषिय में अप्रत्याशति तरीकों से लाभ उठाने के लयि इसका उपयोग कयि जा सकता है।

### बहुपक्षीय सामरिक महत्त्व

- यह "बहुपक्षीय ढाँचे में जुड़ाव को बढ़ाने" के लयि अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सामरिक चतुरभुज वार्ता के बारे में भी बात करता है।
- चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियाँ और इसकी मैरीटाइम सल्लिक रोड पहल (एमएसआरआई) के साथ ही साथ पाकस्तान और श्रीलंका में चीनी परियोजनाओं द्वारा समुद्री क्षेत्र को घेरे में लेने तथा रणनीतिक हतियों को लेकर भारत की चलि स्वाभाविक है।
- बहुपक्षीय ढाँचे की भागीदारी के वसितार पर वधियक में कहा गया है, "क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने और नयिमें के आधार पर साझा मूल्यों और सामान्य हतियों की रक्षा करने का पर्यास कयि जाएगा।"
- इस वधियक में चीन को दुनिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय नौवहन युद्धाभ्यास रमि ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज (RIMPAC) में भाग लेने से रोकने तथा उसकी कंपनियों को रक्षा तथा सुरक्षा प्रतिष्ठानों के लयि कुछ दूरसंचार उपकरण मुहैया कराने से रोकने का प्रावधान भी है।

### रशिते की मज़बूती

- महत्त्वपूर्ण बात यह है कि विधायक भारत के साथ अमेरिका की प्रमुख रक्षा साझेदारी को "मजबूत करने और आगे बढ़ाने" का प्रस्ताव भी देता है तथा "आपसी सुरक्षा उद्देश्यों पर काम करता है" ।
- भारत जैसे रणनीतिक साझेदारों के लिये CAATSA में छूट प्रदान करने हेतु अमेरिकी कांग्रेस की सराहना की जानी चाहिये । ऐसा करके कांग्रेस ने द्विपक्षीय संबंधों को लेकर तनाव को समाप्त किया है, रूसी रक्षा उद्योग पर अतिरिक्त दबाव डाला है और CAATSA कानून के मूल उद्देश्य को पूरा किया है ।
- यह छूट एक मजबूत संकेत है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को बहुत महत्त्व देता है।
- वित्तीय वर्ष 2019 के लिये NDAA रक्षा और ऊर्जा विभाग के राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रमों के लिये वित्तपोषण को अधिकृत करता है साथ ही अमेरिकी सहयोगियों और भागीदारों को रूसी उत्पादित प्रमुख रक्षा उपकरण तथा उन्नत पारंपरिक हथियारों की सूची को कम करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
- इसके साथ ही इस कानून में रूसी खुफिया एजेंसियों और साइबर हमलों में लगे अन्य संस्थाओं के लिये छूट की संभावना शामिल नहीं है ।

## CAATSA

- CAATSA को 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में कथित हस्तक्षेप के लिये रूस को दंडित करने हेतु अधिनियमित किया गया था ।
- इसका उद्देश्य विश्व के तीसरे देशों को माध्यमिक प्रतिबंधों के खतरे के माध्यम से सैन्य और खुफिया क्षेत्रों में रूस के साथ "महत्त्वपूर्ण लेन-देन" से निषेधित करना है ।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/us-congress-passes-law-to-provide-relief-for-allies-from-sanctios-against-russia>

